न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :—70 / 2020
प्रकरण दर्ज तिथि :—14.10.2020
जीसीएमएस नम्बर :—2023 / 102

वादीगण :—

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी गांव बाडसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन,

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :—

1. सुखीदेवी पत्नी पांचू जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 12.08.2024**

वादी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारादावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,एवं 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है।वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 442 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/2 हिस्से यानि 7 बीघा 00 बिस्वा 10 बिस्वां सी भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे।उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषिभूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषिभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ उक्त कृषिभूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना [illegible] चले आ रहे है ।वादी कीवादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषिभूमि 1/2 हिस्से यानि 7 बीघा 00 बिस्वा 10 [illegible] भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर [illegible] अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कोई कानूनी अधिकार नही है वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार का तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर में वाके आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से यानि 7 बीघा 00 बिस्वा 10 बिस्वांसी की भूमि पर वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। मौके पर वादी की भूमि बंटी हुई है वादी के कब्जे काश्त अनुसार भूमि की नापचौक कर पत्थरगड्डी कर नेखमबन्दी करवायी जावे व भूमि मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी के हिस्से की भूमि का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे में बटटा नम्बर लगाकर अलग लाल रंग से ट्रेश नक्शे में तरमीम कर दर्शाया जावे लगान बांटा जावे, बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा किया जावे ऐसी तकास्मा आराजी की डिक्री व निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। तामिल के बाद अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस समायत की। वकील वादी माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री आदेश जारी किये गये।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/671 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण वादी ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। वकील वादी नेबंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस व पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति – मेघवाल, निवासी – बारसा,तहसील – मारवाड. जंक्शन जिला पाली खातेदार।	442	1.13715	बारानी अव्वल	3.52
2	सुखीदेवी पत्नि पांचुराम जाति – बावरी निवासी –सा.देह खातेदार।	442/1	1.13715	बारानी अव्वल	3.51
		1	1.13715	बारानी अव्वल	3.51
		कुल रकबा	2.2743		

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन,

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :–

1. सुखीदेवी पत्नी पांचू जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 70/2020

मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 442 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति – मेघवाल, निवासी – बारसा,तहसील – मारवाड. जंक्शन जिला पाली खातेदार।	442	1.13715	बारानी अव्वल	3.52
2	सुखीदेवी पत्नि पांचुराम जाति – बावरी निवासी –सा.देह खातेदार।	442/1	1.13715	बारानी अव्वल	3.51
		1	1.13715	बारानी अव्वल	3.51
		कुल रकबा	2.2743		

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	08	00	स्टाम्प वकालतनामा –	0	00
स्टाम्प वकालतनामा –	26	00	स्टाम्प हाजरी –	0	
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर–		
फीस कमि नर–			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक	0	00
मुतफरिक –	2	00	मीजान		
मीजान	36	00		0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested

नोट :–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।